

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 137/2019


- 1 टीकूराम पुत्र ईशरराम।
- 2 रणजीत पुत्र ईशरराम।
- 3 केशरदेव पुत्र ईशरराम।
- 4 नेमीचन्द पुत्र ईशरराम समस्त जाति जाट निवासीगण रामपुरा हाल आबाद कांसली तहसील धोद जिला सीकर।

अपीलांत

बनाम



- 1 पन्नालाल पुत्र भुदाराम।
- 2 छोटूराम पुत्र रिड़मल।
- 3 जेसाराम पुत्र तिलोका।
- 4 भागीरथमल पुत्र तिलोका।
- 5 मदन पुत्र तिलोका।
- 6 बलबीर पुत्र तिलोका।
- 7 लच्छी पुत्री तिलोका।
- 8 मुनाराम पुत्र लच्छा।
- 9 गोविन्द पुत्र लच्छा।
- 10 लाडा बेवा लच्छा।
- 11 मन्शाराम पुत्र मोटाराम।
- 12 भीवाराम पुत्र मोटाराम।
- 13 रिछपाल पुत्र मोटाराम।
- 14 रूकमा पुत्री भुदाराम।
- 15 परताराम पुत्र दुदाराम।
- 16 भीवाराम पुत्र दुदाराम।

  
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं  
पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
सीकर

17 भुरी बेवा दुदाराम समस्त जाति जाट निवासीगण रामपुरा हाल आबाद कांसली तहसील धोद जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरुद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड  
अधिकारी धोद दिनांक 27.09.2019 अन्तर्गत धारा  
223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थिति :

1. श्री भागीरथमल जाखड़, अधिवक्ता अपीलांत
2. श्रीमती सुशीला चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट



—निर्णय—

दिनांक:— 15.12.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद द्वारा मुकदमा नम्बर 12/2016 में पारित निर्णय दिनांक 27.09.2019 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है।


प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण अपीलांतस ने विचारण न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर कथन किया है कि आराजीयात खसरा नम्बर 302 रकबा 1.62 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 303 रकबा 1.23 हैक्टेयर वाके तन रामपुरा तहसील धोद जिला सीकर में अवस्थित है जो वादीगण के खाते कब्जे व काश्त की भूमि है तथा वादीगण ही उक्त आराजी पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है। विवादित आराजीयात वादीगण के हिस्से में बाहमी बंटवारे में आई हुई है वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं  
पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
सीकर

सदस्य है प्रतिवादीगण के हिस्से में अन्य आराजियात आई हुई है आराजी मुतनाजा पर वादीगण ही सहवन से काबिज है। विवादित आराजियात की खातेदारी गलत रूप से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गई है। जिसका रेवेन्यू रिकार्ड दुरुस्त किया जाना आवश्यक है एवं प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। विचारण न्यायालय में प्रतिवादीगण की ओर से झुकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद वादी स्वीकार करने का निवेदन किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज किया गया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट व रेस्पोंडेंट एक ही परिवार के सदस्य है तथा संहवन से उनके खातेदारी में आई हिस्से की भूमियों की खातेदारी सही दर्ज नहीं हुई तथा भूमि खसरा नम्बर 302 रकबा 1.62 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 303 रकबा 1.23 हैक्टेयर वाके तन रामपुरा तहसील धोद भूमि अपीलांट्स के हिस्से में बाहमी बंटवारे में आई हुई है जिस पर अपीलांट काबिज है बाकी रेस्पोंडेंट के हिस्से में दूसरी भूमियां आई हुई है जिसके अलग से दावे व अपील विचाराधीन है। उक्त आराजी अपीलांट के हिस्से में आई हुई है उक्त तथ्य को रेस्पोंडेंट ने स्वयं स्वीकार किया है। निर्णय व डिक्री सहमती पर आधारित होने के बावजूद कानूनी प्रावधानों के विपरित निर्णय देकर विचारण न्यायालय ने कानूनी गलती की है। अत अपील स्वीकार कर वाद वादी डिक्री किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में सी.जे. सिविल राज. 2019 (1) पेज 450, डी.एन.जे. 2010 एस.सी. पेज 900, डी.एन.जे. 2013 एस.सी. पेज 70, डी. एन.जे. 2011 (3) राज. पेज 1316 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने तर्क दिया कि अपील स्वीकार कर वाद वादी डिक्री करने में आपत्ति नहीं है।

  
 भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं  
 पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
 सीकर



हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अपीलांट व रेस्पोंडेंट एक ही परिवार के सदस्य है तथा संहवन से उनके खातेदारी में आई हिस्से की भूमियों की खातेदारी सही दर्ज नहीं हुई तथा भूमि खसरा नम्बर 302 रकबा 1.62 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 303 रकबा 1.23 हैक्टेयर वाके तन रामपुरा तहसील धोद भूमि अपीलांट्स के हिस्से में बाहमी बंटवारे में आई हुई है जिस पर अपीलांट काबिज है बाकी रेस्पोंडेंट के हिस्से में दूसरी भूमियां आई हुई है जिसके अलग से दावे व अपील विचाराधीन है। उक्त आराजी अपीलांट के हिस्से में आई हुई है उक्त तथ्य को रेस्पोंडेंट ने स्वयं स्वीकार किया है। निर्णय व डिक्री सहमती पर आधारित होने के बावजूद कानूनी प्रावधानों के विपरित निर्णय देकर विचारण न्यायालय ने विधिक त्रुटि की है।

विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत सी0जे0 सिविल राज. 2019 (1) पेज 450 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि " Law of Evidence- Admission of a party in the proceedings either in pleadings or oral is the best evidence, which needs no further corroboration. इसी प्रकार डी.एन.जे. 2013 एस.सी. पेज 70 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि " Civil Procedure Code, 1908- O. 23, R. 3- compromise- Settlement arrived at between the parties and executed an agreement outside the Court - Agreement taken on record - Held, Judgment is set aside and appeal disposed of in terms of the compromise.

उपरोक्त विवेचन एवं न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में उभयपक्ष की सहमती को दृष्टिगत रखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है एवं वाद वादी स्वीकार किया जाकर अपीलांट को भूमि खसरा नम्बर 302 रकबा 1.62 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 303 रकबा 1.23 हैक्टेयर वाके तन रामपुरा तहसील

  
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं  
पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
सीकर

धोद जिला सीकर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15.12.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।



(राजवीर सिंह चौधरी)  
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं  
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,  
सीकर